साक्षी मलिक

रेसलर, ओलंपिक मेडलिस्ट

248/7A रेलवे ऑफिसर फ्लैट,
पीके रोड, बसंत लेन, रेलवे कॉलोनी
नई दिल्ली, 110055

18 July, 2024

श्री राजीव रंजन सिंह
माननीय मंत्री जी
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
नई दिल्ली, भारत

विषय: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन की अपील

आदरणीय श्री राजीव रंजन सिंह जी,

मुझे आशा है कि यह पत्र आपको स्वस्थ और प्रसन्न अवस्था में प्राप्त हो रहा होगा। मेरा नाम साक्षी मलिक है, और मैं आपको यह पत्र न केवल एक खिलाड़ी के रूप में लिख रही हूँ जिसने हमारे महान राष्ट्र का वैश्विक मंच पर कुश्ती में प्रतिनिधित्व करने का सम्मान प्राप्त हुआ है, बल्कि एक चिंतित नागरिक के रूप में भी जो भारत में पशुओं के कल्याण के प्रति गहरी संवेदना रखती है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशुओं पर अनावश्यक दर्द और पीड़ा को रोकने के लिए लागू किया गया था। मुझे जानकारी मिली है कि इस अधिनियम के तहत निर्धारित दंड की इसके छह दशकों के अस्तित्व में एक बार भी समीक्षा नहीं की गई है। किसी भी कार्रवाई, चाहे वह पशु को मारना-पीटना हो या उसे मार डालना, पशुओं को लड़ाई के लिए उकसाना हो या शूटिंग के लक्ष्य के रूप में उनका उपयोग करना, पर अधिकतम 50 रुपये का ही दंड निर्धारित है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 11(1) के तहत पशु क्रूरता के लगभग सभी कार्य संज्ञेय नहीं हैं। अनुचित रूप से कम दंड और पशु क्रूरता को स्वाभाविक रूप से संज्ञेय अपराध के रूप में मान्यता देने में असफलता अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर देती है।

मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया पशु क्रूरता निवारण (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी सत्र में चर्चा के लिए लाने पर विचार करें। दंड को बढ़ाना और इन अपराधों को संज्ञेय अपराध के रूप में मान्यता देना हमारे देश में पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।हमारे कानूनों को इन नैतिक और मानवीय सिद्धांतों के साथ संरेखित करना न केवल पशुओं के कल्याण को बढ़ाएगा, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और संविधान में निहित मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करेगा।

आपका कार्यालय मुझे इस संबंध में विकास की जानकारी sooofimalik1992@gmail.com पर दे सकता है।

आपके समय और विचार के लिए धन्यवाद।

सादर,
साक्षी मलिक